महत्वपूर्ण/पंचायत निर्वाचन, **2020**

संख्या- 62/2020/2961/33-3-2020-03**रा.नि.आ.**/14

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
पंचायती राज, उ.प्र.।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2020**

विषय : वर्ष 2015 में सम्पन्न पंचायत निर्वाचन के उपरान्त नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों के सृजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में सम्पन्न पंचायत निर्वाचन के समय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1992/33-3- 2014-03 रा.नि.आ./14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुआ था।

नगर विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों का सृजन एवं सीमा विस्तार किया गया था। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-2491/33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। पुन: नगर विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा जनपदों में नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों का सृजन/ सीमा विस्तार किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नगर निकायों के गठन/ सीमा विस्तार के कारण प्रभावित राजस्व ग्राम जिनकी आंशिक आबादी नगरीय निकाय में सम्मिलित हो गयी है तथा आंशिक आबादी ग्रामीण निकाय में अवशेष है, के वर्गवार जनसंख्या निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष।
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य।
(ग)	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य।
(घ)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य/सचिव।

उक्त समिति में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य बनाया जाता है। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतः शासनादेश संख्या-1992/33-3-2014-03रा.नि.आ./14, दिनांक 16.08.2014 एवं शासनादेश संख्या-2491 /33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार समिति से अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रस्ताव (प्रथम पृष्ठ का 2/3 भाग ऊपर से एवं अंतिम पृष्ठ का 2/3 भाग नीचे से छोड़ते हुए Landscape में पूर्व स्थिति एवं संशोधित स्थिति के अनुसार) संलग्न प्रारूप **(**सारिणी**)** पर 3 प्रतियों में (एम.एस.वर्ड पर सॉफ्टकापी सी.डी. सहित) एवं संलग्न प्रारूप रूपपत्र**-1** पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि कोई ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित होने से शेष नहीं रह गया है, पंचायतीराज निदेशालय को विलम्बतम् दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 तक विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- पुनर्गठन के कार्य के लिए दिनांक 24.12.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जो अधिसूचना दिनांक 23.12.2020 तक निर्गत कर दी जाती हैं, उन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र मानते हुए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक**-**यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह**)**
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक :-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र.।

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र.।

3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उत्तर प्रदेश।

8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार**)**

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

-:सारिणी :-

जनपद का नाम-

पूर्व स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र.सं.	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्र.सं.	विकास खण्ड /क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**

हस्ताक्षर जिलाधिकारी **(**मोहर सहित**)**

रूपपत्र**-1**

प्रमाण**-**पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-..... के प्रभावित विकास खण्ड की ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम का कोई ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित होने से शेष नहीं रह गया है।

हस्ताक्षर जिलाधिकारी **(**मोहर सहित**)**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।